राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ–1(2)(56)स्था/मअ/2010/ जयपुर,दिनांक

<u>आदेश</u>

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भारत सरकार के सहयोग से जयपुरिया अस्पताल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेन्टर फॉर वीमेन, केन्द्र का शुभारम्भ दिनांक 30.8.2013 से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंसा एवं उत्पीडन की शिकार महिलाओं को एक ही स्थान पर समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना एवं आवश्यकतानुसार उनके पुर्नवास हेतु विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करना है। इस केन्द्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु विभाग की ओर से डा0 जगदीश प्रसाद, कार्यक्रम अधिकारी, राज्य समन्वयक, राज्य संदर्भ केन्द्र, महिला अधिकारिता, मुख्यालय की डयूटी लगाई जाती है। ये प्रतिदिन साय 3 से 4 बजे न्यूनतम एक घण्टे व उसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार वहॉ उपस्थित रहते हुए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे:–

1. पूर्व दिवस तक तथा उस दिन केन्द्र पर उत्पीडित महिलाओं के फोन कॉल्स के जरिये अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त प्रकरणों पर नियमानुसार वांछित प्रभावी एवं अपेक्षित कार्यवाही की गई अथवा नहीं, इस बाबत जॉच करेंगे तथा किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर उसे दुरूस्त करेंगे। केन्द्र पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें तथा समस्याओं का समाधान करेगें।
2. चूँकि केन्द्र पर सफल संचालन विभिन्न विभागों यथा महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा जिला प्रशासन के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों से संभव है अतः वे उक्त सभी विभागों का समन्वय सुनिश्चित करेंगे तथा प्रकट होने वाली कठिनाईयों का समाधान करेंगे एवं उच्च अधिकारियों को अवगत करायेगे।
3. विभिन्न सेवादाताओं के केन्द्र पर उपस्थित रहने हेतु जो निश्चित की गई समय अवधि के अनुसार उपस्थिति बनी रहे यह सुनिश्चित करेंगे।

4. केन्द्र के रख–रखाव हेतु नोडल अधिकारी उपनियन्त्रक, जयपुरिया अस्पताल को बनाया गया है। यदि केन्द्र के रख–रखाव अथवा वहाँ पर उपलब्ध कराया गया सामान अथवा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो वे नोडल अधिकारी उपनियन्त्रक, जयपुरिया अस्पताल से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही संपादित करायेंगे। साथ ही विभाग के उच्च अधिकारियों की जानकारी में लायेंगे।

(डा0टीना कुमार)
निदेशक
महिला अधिकारिता

कमांक एफ–1(2)(56)स्था/मअ/2007/ 52339-57 जयपुर,दिनांक 4-9-13

प्रतिलिपिः–

1. विशेषाधिकारी,मा.मंत्री महोदया,महिला एवं बाल विकास विभाग,राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव,राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग,राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग,राज0 जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0,जयपुर
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय जयपुर।
6. अति. महानिदेशक, पुलिस, सिविल राईट्स, राज0,जयपुर।
7. निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर।
8. प्रभारी,राज्य संदर्भ केन्द्र,महिला अधिकारिता,मुख्यालय।
9. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त अधिकारीगण।
10. डॉ. जगदीश प्रसाद, कार्यक्रम अधिकारी,राज्य समन्वयक,राज्य संदर्भ केन्द्र,मुख्यालय।
11. उपनियन्त्रक, जयपुरिया अस्पताल, जयपुर।
12. लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय ।
14. लेखाकार, बजट/कैशियर/स्टोर/महिला अधिकारिता, जयपुर।
15. निजी पत्रावली।
16. आदेश पत्रावली।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता